| (12) | (13) |
|---|---|
| (Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications). | |

[F. No. A-12018/3/2000-Ad. I(c)]
T. J. BANERJEE, Under Secy.

Note :— The Principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 583 dated 9-8-86.

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2001

सा.का.नि. 151.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार एवं पदेन जनगणना आयुक्त, का कार्यालय और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में (सहायक/मुख्य लिपिक) भर्ती नियम, 1990 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार के विभिन्न कार्यालयों, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय का भाषा प्रभाग, तथा साथ ही साथ राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित सभी जनगणना कार्य निदेशालयों में सहायक/मुख्य लिपिक के उक्त पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय (सहायक/मुख्य लिपिक) भर्ती नियम, 2001 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम कलकत्ता स्थित भाषा प्रभाग, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में सहायक/मुख्य लिपिक के पद पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

बशर्ते कि सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उसके लिए जो भी कारण ही उन्हें लेखबद्ध करके किसी भी कार्यालय में जिस पर ये नियम लागू होते हैं और जिसके लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी है उसकी बाबत, उक्त पदों में हुई किसी रिक्ति को किसी अन्य कार्यालय में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, उसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति के, आमेलन द्वारा भरने का आदेश दे सकेगा यदि आमेलन किए जाने वाले व्यक्ति ने ऐसे आमेलन के लिए लिखित रूप में आवेदन किया हो ।

बशर्ते कि इस प्रकार आमेलन किए गए व्यक्ति को उस ग्रेड में उन सभी व्यक्तियों से नीचे रखा जाएगा जो उस ग्रेड में पहले से ही नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हों ।

5. निरर्हताएं : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या चयन-सह-वरिष्ठता गुणावगुण अनुसार चयन है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सहायक/मुख्य लिपिक | 100* (2001) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | 5000-150-8000 रुपये | चयन-सह-वरिष्ठता |

| सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
| नहीं | 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय)<br><br>टिप्पणी : आयु सीमा को अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित तारीख होगी । | अनिवार्य:—<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से डिग्री<br>वांछनीय :<br>सरकारी कार्यालय में प्रशासनिक और स्थापना संबंधी मामलों में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों और इस प्रकार के मामलों एवं कार्यालय पद्धति के नियमों एवं विनियमों के प्रबन्धन की अच्छी जानकारी रखते हों । |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा । |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| नहीं | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा | प्रोन्नति :<br><br>संबंधित कार्यालयों में ग्रेड में (4000-100-6000 रु.) 6 वर्ष की |

| 11 | 12 |
|---|---|
| (अल्पकालिक रिक्तियां केवल प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी )। | नियमित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक।<br><br>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन सदृश पद धारण करने वाले कर्मचारी अथवा जिन्होंने 4000-100-6000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो और सीधे भर्ती के लिये कालम 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं नहीं होगी)।<br><br>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। |

| | |
|---|---|
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना | भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा। |

| 13 | 14 |
|---|---|
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (भाषा प्रभाग, कलकत्ता के लिये): | लागू नहीं |
| (1) उप महारजिस्ट्रार (भाषा), अथवा सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) | —अध्यक्ष |
| (2) सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) अथवा भाषाविद् अथवा अनुसंधान अधिकारी (भाषा)—अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी). | —सदस्य |
| (3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी जो अधिमानतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो | —सदस्य |
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित संबंधित जनगणना कार्य निदेशालयों के लिये): | |
| (1) उप निदेशक/सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) | —अध्यक्ष |
| (2) सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य | —सदस्य |
| (3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी, जो अधिमानतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो | —सदस्य |

[फा. सं. ए.-16011/7/2000-प्रशा. II]

जयन्त कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार

## OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL OF INDIA

New Delhi, the 1st March, 2001

G.S.R. 151.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Registrar General and officio Census Commissioner for India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Assistant/Head Clerk) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said posts of Assistant/Head Clerk in the various offices of the Registrar General, India, the Language Division of the office of the Registrar General, India as well as all the offices of the Directorate of Census Operation in the States and the Union Territories, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directorate of Census Operations in States and Union Territories (Assistant/Head Clerk) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the post of Assistant/Head Clerk in the Language Division of the Registrar General, India located at Calcutta, and each of the offices of the Directorate of Census Operation in the States and Union territories.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

Provided that the appointing authority concerned may, if it considers necessary or expedient so to do, and subject to such conditions as it may specify in this behalf; having regard to the circumstances of the case and for reasons to be recorded in writing, order any vacancy in the said posts, in any of the offices to which these rules apply and in relation to which he is the appointing authority to be filled by the absorption of a person holding the same post in any of the other offices to which these rules apply, provided that the person to be absorbed has made a request in writing for such absorption.

Provided further that the person so absorbed shall be placed below all persons already appointed on regular basis to the grade to which he is appointed on such absorption.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Scale of pay | Whether selection-cum-seniority/ selection by merit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Assistant/ Head Clerk | 100* (2001) *Subject to variation dependent on work load. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 5000–150–8000 | Selection-cum-seniority |

| Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
| No | 25 years. (Relaxable upto 35 years for Government servants in accordance with instruction or orders issued by the Central Government.<br>Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. | Essential :<br>Degree of a recognised University or equivalent.<br>Desirable :<br>Three years experience in administrative and establishment matters in a Government Office and possessing a thorough knowledge of rules and regulations governing such matters and office procedure. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| No | 2 years | Promotion, failing which by deputation and failing both by direct recruitment. (Short term vacancies will be filled by promotion or deputation only.) | Promotion :<br>Upper Division Clerk(s) in the respective offices with 6 years regular service in the grade (Rs. 4000-100-6000).<br>Deputation :<br>Officials of the Central Government/ State Governments holding analogous posts or with 6 years regular service in the post in the scale of pay of Rs. 4000–100–6000 or equivalent, and possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits in column 8 (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).<br>The maximum age-limit for appointment by deputation should not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| 13 | 14 |
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the Language Division at Calcutta) : | Not applicable. |
| 1. Deputy Registrar General (Language) or Assistant Registrar General (Language) —Chairman | |
| 2. Assistant Registrar General (Language) or Linguist or Research Officer (Languages) or Assistant Director of Census Operation (Technical) —Member | |
| 3. A Group 'A' officer of another Central Government Office preferably belonging to the Scheduled Castes/ the Scheduled Tribes —Member | |
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the respective Directorates of Census Operations in States(Union Territories) : | |
| 1. Deputy Director/Assistant Director of Census Operations (Technical) —Chairman | |
| 2. Assistant Director of Census Operations (T) or Assistant Director of Census Operations —Member | |
| 3. A Group 'A' officer of another Central Government office, preferably belonging to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes —Member | |

[F. No. A-16011/7/2000-Ad. II]
J. K. BANTHIA, Registrar General of India

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2001

सा.का.नि. 152.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग संपदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में संपदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग संपदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी भर्ती नियम, 2001 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

रजिस्ट्री सं० डी एल (एन) 04/0007/2003—05 REGD. No. DL (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

## साप्ताहिक
## WEEKLY

सं. 51] नई दिल्ली, दिसम्बर 14—दिसम्बर 20, 2003, शनिवार/अग्रहायण 23—अग्रहायण 29, 1925
No. 51] NEW DELHI, DECEMBER 14—DECEMBER 20, 2003, SATURDAY/AGRAHAYANA 23—AGRAHAYANA 29, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

### गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2003

**सा.का.नि. 442.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (सहायक/प्रधान लिपिक) भर्ती नियम, 2001 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (सहायक/प्रधान लिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में (सहायक/प्रधान लिपिक) भर्ती नियम 2001 में :—

(क) नियम 1 के उप नियम (1) में "सहायक/प्रधान लिपिक" शब्दों के लिए "सहायक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची में कालम 1 के अन्तर्गत, "सहायक/प्रधान लिपिक" शब्दों के लिए "सहायक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. ए-16011/7/2000-प्रशा.-II]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

**पाद टिप्पणी :** मुख्य नियमों को सा.का.नि. 151, दिनांक 1 मार्च, 2001 के तहत् अधिसूचित किया गया था।

84

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### (Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 10th December, 2003

G.S.R. 442.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in States and Union Territories (Assistant/Head Clerk) Recruitment Rules, 2001, namely :—

(1) (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in States and Union Territories (Assistant/Head Clerk) Recruitment (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come in to force from the date of their publication in the Official Gazette.

(2) In the Offices of Registrar General, India (Assistant/Head Clerk) Recruitment Rules, 2001 :—

(a) in rule 1 sub rule (1) for the words "Assistant/Head Clerk" the word "Assistant" shall be substituted;

(b) in Schedule, under column 1, for the words "Assistant/Head Clerk" the word "Assistant" shall be substituted.

[F. No. A-16011/7/2000-Ad-II]

D. S. SAINI, Under Secy.

Foot note :—The Principal rules were notified vide number G.S.R. 151, dated the 1st March, 2001.

## अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर, 1 दिसम्बर, 2003

सा.का.नि. 443.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अन्तरिक्ष विभाग (वर्ग ख पद) की भर्ती नियमावली, 2000 में आंशिक संशोधन में ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई अथवा छोड़ी गयी बातों को छोड़कर, अंतरिक्ष विभाग के वैयक्तिक सहायक व आशुलिपिक की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तरिक्ष विभाग (वैयक्तिक सहायक व आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2003

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।